सं. एफ-2-1/2015-ई.III (ए)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2015

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः संशोधन पूर्व वेतन संरचना में 1.1.2006 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना का तारीख के बीच पदोन्नति किए जाने और बाद में पदोन्नति तथा फीडर पदों के संशोधन पूर्व वेतनमानों का विलय एक ही ग्रेड में कर दिए जाने के मामलों में वेतन निर्धारण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 जो 29.08.2008 को अधिसूचित हुई थी लेकिन 1.1.2006 से प्रभावी है, को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप 1.1.2006 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन निर्धारण उक्त नियमावली के नियम 13 के अनुसार किया जाता है। यह नियम, संशोधित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति के मामले में ही लागू होता है।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की प्रथम अनुसूची के भाग-क की धारा 1 की शर्तों जिनमें विभिन्न संशोधन पूर्व वेतनमानों के अनुरूप प्रयोज्य बैंड और ग्रेड वेतन के रूप में संशोधित वेतन संरचना का प्रावधान है, में कुछ संशोधन पूर्व वेतनमानों का विलय 1.1.2006 से, संशोधित वेतन संरचना में एक ही ग्रेड वेतन में कर दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए संशोधन पूर्व वेतनमानों वाले पद जो 1.1.2006 से एक ही ग्रेड वेतन में विलयित कर दिए गए हैं, सामान्य रूप से विलयित किए जाने अपेक्षित हैं चाहे ये पद संशोधन पूर्व वेतन संरचना में फीडर और पदोन्नति ग्रेड के पद रहे हों।

3. तथापि, ऐसे मामलों में जहां फीडर और पदोन्नति पदों का ऐसा विलय, इन पदों को एक ही ग्रेड वेतन में रख दिए जाने के तथ्य के बावजूद प्रशासनिक कारणों से नहीं हो पाया है और प्रासंगिक भर्ती नियमावली के अनुसार ये पद अपना पदोन्नति और फीडर पद का दर्जा बरकरार रखे हुए हैं, इस मंत्रालय ने दिनांक 7.1.2013 के का.ज्ञा. सं.10/2/2011-ई-III ए के तहत अनुदेश जारी किए थे जिनमें ऐसे मामलों में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 13 के तहत पदोन्नति पर वेतन निर्धारण, उक्त अनुदेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन किए जाने का प्रावधान किया गया था।

4. अब, ऐसे मामले इस मंत्रालय के ध्यान में लाए गए हैं जहां केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के प्रख्यापन के बाद तत्कालीन फीडर और पदोन्नति पदों से जुड़े संशोधन-पूर्व वेतनमानों का विलय एक ही ग्रेड/पद में कर दिए जाने के कारण फीडर और पदोन्नति पदों का विलय कर दिया गया है, जिसके

अमलान सिंह

कारण दिनांक 1.1.2006 से लेकर केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख तक की अवधि के दौरान इन पदों की प्रकृति जो पदोन्नति और फीडर ग्रेड के पदों के रूप में विद्यमान थी, 1.1.2006 से लागू पूर्व-व्यापी प्रभाव से खंडित हो गई और परिणामस्वरूप, यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 का नियम 13, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के उन मामलों में जिनमें पदोन्नति 1.1.2006 से लेकर उक्त नियमावली की अधिसूचना की तारीख की अवधि के दौरान की गई हो जबकि संशोधन-पूर्व संरचना में पदोन्नति पर वेतन का निर्धारण, यथा प्रयोज्य रूप से, वास्तव में किया गया हो, लागू होगा या नहीं।

5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में विलयित पदों/ग्रेडों के संदर्भ में जारी दिनांक 13.09.2012 के का.ज्ञा. सं.20020/4/2010-संस्था.घ में निहित प्रावधानों के आलोक में इस मामले पर विचार किया गया है। इस कार्यालय ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था दी गई है 1.1.2006 और 29.09.2008 के बीच पदोन्नति अर्जित करने वाले कर्मचारियों सहित किसी भी सरकारी कर्मचारी की स्थिति की संरक्षा 29.08.2008 की उसकी स्थिति के अनुसार की जाएगी क्योंकि नियुक्ति/पदोन्नतियां किसी ग्रेड विशेष के लिए लागू भर्ती नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं।

6. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि उन मामलों में जहां पदोन्नति संशोधन-पूर्व वेतन संरचना में 1.1.2006 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख के बीच की गई जब संशोधन-पूर्व और संशोधित वेतनमान अलग-अलग थे और पदों का स्वरूप फीडर और पदोन्नति ग्रेड का था, ऐसी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 13 के तहत किया जा सकेगाः-

i) यदि पदोन्नति 1.1.2006 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख के बीच तत्कालीन भर्ती नियमों जिनमें यह स्पष्ट प्रावधान हो कि ऐसे पद, फीडर ग्रेड जहां से पदोन्नति हुई है, के लिए पदोन्नति का ग्रेड है और जहां इन पदों को बाद में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के प्रख्यापन के परिणामस्वरूप एक पद/ग्रेड में विलयित कर दिया गया था।

ii) एफआर 22 (I) (ए) (1) जो पदोन्नति पर वेतन के निर्धारण के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के प्रख्यापन से पूर्व प्रयोज्य था, का इन मामलों में प्रयोग दिनांक 1.1.2006 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख के बीच संशोधन-पूर्व संरचना में वेतन के निर्धारण के लिए किया गया हो।

iii) संबंधित कर्मचारियों ने केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख से पहले की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने का विकल्प चुना हो।

iv) इन ग्रेडों का एक ग्रेड/पद में विलयन का प्रावधान करने के लिए संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन बाद में कर दिया गया हो।

7. यह आदेश दिनांक 1.1.2006 और केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख के बीच संशोधन-पूर्व संरचना में की गई पदोन्नतियों के मामलों पर ही लागू होगा। इस प्रकार,

अमरनाथ सिंह

केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 13 का लाभ उस पद पर नियुक्ति के मामलों में लागू नहीं होगा जो संशोधन-पूर्व वेतन संरचना में उच्चतर वेतनमान में था किन्तु जहां ऐसी नियुक्ति केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की अधिसूचना की तारीख के बाद की गई हो।

8. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अधीन सेवारत कर्मचारियों पर लागू किए जाने की दृष्टि से यह आदेश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय की सहमति से जारी किया गया है।

अमरनाथ सिंह

(अमर नाथ सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
2. संयुक्त सचिव (संस्थापना), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. एनआईसी, वित्त मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इसे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर 'recent' में और व्यय विभाग के अंतर्गत सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के अंतर्गत -ई-III ए अनुभाग द्वारा जारी वेतन संबंधी आदेशों में भी प्रदर्शित करें।